

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक :- प.4(74)वित्त-1(1)आय.व्य/2019

जयपुर, दिनांक : 09/03/2021

स्वीकृति संख्या G55 / 2020-21

कोषाधिकारी
उदयपुर (राज.)

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में कुल राशि रुपये 1388.50 लाख मात्र के हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर के द्वारा जारी निम्नांकित स्वीकृतियों में अंकित कार्य एवं शर्तों के अनुसार, आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में कुल राशि रुपये 1388.50 लाख (अक्षरों रुपये तेरह करोड़ अठ्ठासी लाख पचास हजार) मात्र निम्नांकित बजट मदों को प्रभारित करते हुए हस्तान्तरित कर दी जायें।

मांग संख्या - 30

(राशि रुपये लाखों में)

क्रम संख्या	बजट मद	स्वीकृति संख्या	राशि (केन्द्रीय सहायता)
1.	4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02 - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (09) - उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य (दि.के.स.) [02] - नहरों का सुदृढीकरण 17 - वृहद निर्माण कार्य (केन्द्रीय सहायता)	क्रमांक-एफ.8 लेखा / सीटीएडी/ / प्रस्ताव / विकेस/ 2020-21 / जयपुर दिनांक 03.03.2021 56 / 2020-21	688.50
2.	[03] - जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं बन्द पड़ी जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का पुनरुत्थान 17 - वृहद निर्माण कार्य (केन्द्रीय सहायता)	57 / 2020-21	700.00
	योग		1388.50

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के ध्येय के लिये राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

भवदीय,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

*Email to CMAJ@jaipur
Date:- 10/03/2021*

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)